

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश:जबलपुर

पृष्ठांकन क 01/5107 / चार-12-5 / 23(निर्देश)

जबलपुर, दिनांक 01/12/2023

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश.....समस्त.....मध्यप्रदेश राज्य।
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय,.....समस्त.....मध्यप्रदेश राज्य।
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खंडपीठ इन्दौर/ग्वालियर,
4. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर,
5. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(लेखा अनुभाग)(पेंशन अनुभाग)/प्रशासनिक अधिकारी (बजट अनुभाग)/सहायक सेवा पुस्तिका (राजपत्रित)/सहायक (पेंशन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,

की ओर मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल का पत्र कमांक 5461/2023/21-ब(एक) भोपाल दिनांक 10.11.2023 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन कमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।


29-11-23



रजिस्ट्रार(एम)

Speed-Post



मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 5461/2023/21-ब(एक),
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10/11/2023

✓ रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषय:- मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के समान नई संशोधित दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किये जाने के संबंध में।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/4/2023-E.II(B) दिनांक 20/10/2023 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा पुनरीक्षित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2023 के नियम-9 के तहत ये पुनरीक्षित दरें मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों पर लागू होंगी।

अतः राज्य शासन केन्द्र सरकार के उक्त समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 20/10/2023 के अनुक्रम में राज्य में कार्यरत समस्त न्यायिक सेवा के सदस्यों को दिनांक 01/07/2023 से 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन प्रदान करता है।

- (1) पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ते का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/4/2023-E.II(B) दिनांक 20/10/2023 में दर्शाई गई रीति से होगा।
- (2) महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन, महंगाई भत्ते वेतन के आधार पर की जावेगी।
- (3) महंगाई भत्ते का कोई भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

621
21-11-

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
20 NOV 2023
Reg No. 52983
Receipt Clerk
High Court Jabalpur
DA Orders of Judicial Officers

10/11/23
(उमेश पाण्डेव)
सचिव,


मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
अध्य

पृ. फा.क्रमांक 5461 / 2023 / 21-ब(एक),
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 10 / 11 / 2023

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर,
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल,
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय भोपाल,
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
12. रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल,
13. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल,
14. रजिस्ट्रार, म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल,
15. रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनीवर्सिटी, भोपाल,
16. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल,
17. रजिस्ट्रार, मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
18. सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवालय, भोपाल,
19. अतिरिक्त सचिव, स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
20. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
21. प्रधान महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
22. समस्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,
23. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, पर्यावास भवन, भोपाल,
24. आयुक्त, कोष एवं लेखा, संचालनालय, म.प्र. भोपाल,
25. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
26. संभागीय पेंशन अधिकारी, सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, भोपाल,
27. समस्त कोषालय, अधिकारी, मध्यप्रदेश,
28. श्री एम.आर. पाण्डे, अध्यक्ष म.प्र. न्यायिक सेवानिवृत्त संघ, 192, न्याय नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) पिन-452010,
29. उप सचिव, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,
30. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश,
31. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड भोपाल
32. इलाहबाद बैंक ऑफिस कॉम्प्लैक्स गौतम नगर भोपाल
33. बैंक ऑफ बाडोदा 202, जोन 1, गंगा जमुना कॉम्प्लैक्स एम.पी नगर भोपाल
34. बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
35. यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया 52, होटल ताज बिल्डिंग हमीदिया रोड भोपाल
36. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9, अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
37. पंजाब नैशनल बैंक, एफ.जी.एम ऑफिस नियर अरेरा हिल्स भोपाल

38. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एफ.जी.एम ऑफिस नियर गवर्मेण्ट प्रेस अरेरा हिल्स भोपाल
 39. अवर सचिव, मानिट्रिंग (विभागीय वेबसाइट एवं एफ0टी0एम0एस0 पर अपलोड किये जाने हेतु) विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
 40. प्रभारी अनुभाग अधिकारी, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
 41. प्रधान महालेखाकार, अन्य राज्य.....
 42. रजिस्ट्रार, म.प्र. औद्योगिक न्यायालय, मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर
 43. बिल लिपिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


10.11.23
(नवीन कुमार शर्मा)
अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
कार्य

No. 1/4/2023-E-II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi
Dated the 20th October, 2023.

OFFICE MEMORANDUM

**Subject: Revision of rates of Dearness Allowance to Central Government employees-
effective from 01.07.2023.**

- The undersigned is directed to refer to this Department's Office Memorandum No. 1/1/2023-E-II (B) dated 3rd April, 2023 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the rates of Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from 42% to 46% of the Basic Pay with effect from 1st July, 2023.
2. The term Basic Pay in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.
 3. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).
 4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.
 5. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways respectively.
 6. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.


(Ram Gopal)

Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list)
Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

CR
30707

SHY
26/10/2023

SO(B-2)

IV-12-14/10